कार्यालय वनमंडलाधिकारी, वनमंडलपूर्व सीधी (म०प्र०)

क्रमांक//मा०चि०// 3037 सीधी, दिनाँक 6-8-98

प्रति

क्षेत्रीय निदेशक,
सेन्ट्रल माइन प्लानिंग,
एण्ड डिजाईन इन्स्टीट्यूट लिमि०
क्षेत्रीय संस्थान 6, पोस्ट - जयन्त कालरी
जिला सीधी म०प्र०

CMPDI, RI-VI
RD SECRETARIAT
NO. 948 DT. 7.8.98

विषय :- सीधी जिले के आरक्षित वनखंड मुहेर प्रकोष्ट कक्ष क्र० 276 और संरक्षित वन खंड दुद्धीचुआ के वन प्रकोष्ठ क्रमॉक पी 260 एवं पी 261 के अंतर्गत ब्लाक की एक्सप्लोरेशन एवं स्लैला ब्लाक में बोर होल करने बावत सर्वेक्षण / पूर्वेक्षण अनुमति बावत ।

संदर्भ :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक भू-सर्वे एवं वन संरक्षण अधि० सतपुड़ा भवन भोपाल का पृ०क्र०/ 10भू-सर्वे०/पृ० /ख०/2598 दि० 29.7.98 तथा वन संरक्षक रीवा वृत्त रीवा का पत्र क्र० /मा०चि०/ 5196 दि० 31.7.98 ।

--000--

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक भू- सर्वे / वन अधि० म०प्र० भोपाल के संदर्भित पत्र के द्वारा आरक्षित वन खंड मुहेर के कक्ष क्र० 276 और संरक्षित वन खंड दुद्धीचुआ के वन प्रकोष्ट क्र० पी 260 एवं पी 261 के वन क्षेत्र में रकबा 624 हे० में 60 बोर होल कर कोयलो के भंडार का पता लगाने हेतु निम्न शर्तों के आधार पर सर्वेक्षण/पूर्वेक्षण की 2 वर्षों के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है । शर्ते निम्नानुसार है :-

1- पूर्वेक्षण अवधि दो वर्ष की होगी ।

2- पूर्वेक्षण हेतु केवल 4.50 इंच व्यास के 60 बोर होल । किये जाऐंगे वहाँ कोई गड्ढे नही खोदे जाएंगे ।

3- पूर्वेक्षण के दौरान न तो कोई वृक्ष काट /छाँटे जाये और न ही किसी वृक्ष को कोई क्षति पहुँचाई जावें ।

4- पूर्वेक्षण के दौरान कार्य में लगाये गये श्रमिको द्वारा वनो को कोई क्षति पहुँचाई जाती है तो इसका मुआवजा जो भी वन मंडलाधिकारी द्वारा आंकलन किया जायेगा देय होगा ।

5- [illegible] वन भूमि [illegible] पर देने [illegible] शासन की मान्यता [illegible] की

6- पूर्वेक्षण [illegible] के दौरान [illegible] अधिकारी [illegible] देख रेख में

में लिया जावेगा ।

7- पूर्वेक्षण का कार्य पूर्ण होने पर प्रतिवेदन इस कार्यालय को भेजा जावेगा ।

Draft Approved By the D.F.O

वनमंडलाधिकारी,
पूर्व सीधी, म0प्र0

क्रमॉक// मा0चि0//　　　　　　　　सीधी, दिनॉक-----

प्रतिलिपि :- उप वनमंडलाधिकारी बैढन एवं वन परिक्षेत्राधिकारी बैढन की ओर सूचनार्थ । अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक भू-सर्वे एवं वन संरक्षण अधिनियम म0प्र0 भोपाल के पत्र क्र0 2597 दि0 29.7.98 द्वारा पूर्वेक्षण /सर्वेक्षण की अनुमति प्रदान की गई है । जिसकी छाया प्रति संलग्न है । उपरोक्त क्षेत्र में संबंधी संस्थान के पूर्वेक्षण/सर्वेक्षण का कार्य रेंज असिसटेन्ट मोरवा की देख भाल में होगा । पूर्वेक्षण / सर्वेक्षण वक्त रेंज असिसटेन्ट मोरवा उपस्थित रहेंगे ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

सही -
वनमंडलाधिकारी,
पूर्व सीधी म0प्र0

//तिवारी//